

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines.  
Makhapura Industrial Area, Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

संख्या : RAJ/NGR-12/Lst-04/Vol-II

दिनांक: 01/06/2022

प्रेषित ✓ खान एजेन्ट,  
राज श्री चूनापत्थर खान-2,  
मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि.  
पोस्ट-गोटन, तहसील-मेड़ता,  
जिला-नागौर- 342 605 (राज.)  
Email: (krishan.singh@adityabirla.com, alok.nigam@adityabirla.com)

विषय: Violation of provision of Mineral Conservation and development rule 2017 in respect of your Rajshree Limestone Mine-II (ML-03/95, Lease Area 400.70 hectare) in Nagaur district of Rajasthan State.

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 28/04/2022 by undersign in presence of Shri KP Sing, Mine Manager and Shri Vivek Retwij Bhardwaj, Geologist of your company:

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to Review of Mining Plan approved on 25/01/2021 to the extent given below for the year 2021-22: (1) A total of 21 exploratory bore holes (BHs) with 703 meters of drilling were drilled against the proposal of 21 boreholes (BHs) with 920 drilling meterage, resulting shortfall in drilling meters. (2) Mine development has been carried out over non-approved area between grids E380500 to 380650/N2942050 to 2942250 (near boundary pillar M) and E381630 to 381750/N2942570 to 2942790 (Southeast of boundary pillar N). (3) The ROM to Waste ratio was achieved 1:0.57 CuM/CuM against the proposal of 1:0.19CuM/CuM.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खदान की सारीसंक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समप्ति की सिफारिश।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय  
01/06/2022  
(दिलीप जैन)  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, घोटन, (Raj.).
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो